

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा भीलवाड़ा

कार्यालय आदेश

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 अन्तर्गत श्रीमान् निदेशक महोदय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर के पत्रांक - शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102 (206)/सी.भ./प्रयोगशाला सहायक/2021-22 दिनांक 17.05.2023 द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं शर्तों के अनुसार प्रयोगशाला सहायक संयुक्त (विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 में गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु अन्तिम रूप से चयनित, पात्र एवं अभिस्तावित अभ्यर्थियों में से भीलवाड़ा जिले को आवंटित संलग्न सूची में विवरणांकित आशार्थियों को प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल 08 में प्रोवेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में 02 वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 एवं एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017/ जयपुर दिनांक 30.10.2017 के रूल्स 16 शेड्यूल IV के प्रावधानानुसार वेतन लेवल-08 में नियत मानदेय रु. 18500/- (अक्षरे अठारह हजार पांच सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन, नियत मानदेय के रूप में देय होगा।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.17 (15) शिक्षा-2/2014 जयपुर दिनांक 27.08.2021 के बिन्दु संख्या ब में वर्णित निर्देशों की पालना में कार्यालय द्वारा दिनांक 23.05.2023 को आयोजित परामर्श शिविर (कारुसलिंग) के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी से प्राप्त सहमति के आधार पर पदस्थापन कर संबंधित संस्था प्रधान को निर्देशित किया जाता है कि इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेगे :-

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार अभ्यर्थी से संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एवं रिपोर्ट में कोई विपरीत टिप्पणी नहीं होने पर ही इन्हें कार्यग्रहण करवाया जावे। आचरण के पुलिस सत्यापन में अभ्यर्थी के विरुद्ध, प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी साथ ही आपराधिक/विधिक कार्यवाही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लायी जावेगी। जिन अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 एवं 26.10.2021 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। किसी अभ्यर्थी की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट सही नहीं पाये जाने/के बिना कार्यग्रहण करवाया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा, इनकी नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यधीन होगी।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेगे।
3. इनके द्वारा अर्जित शैक्षिक/प्रशैक्षिक, आयु, जाति, आरक्षण सम्बंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक एक प्रति अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखेंगे, कोई भिन्नता/संदेह की स्थिति पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करते हुए अग्रिम निर्देश प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवायेगे तथा कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका नियुक्ति आदेश में छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।
4. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1) डीओपी/ए-III /95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का शपथ पत्र 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
7. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।
8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए, एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो, की जांच उपरान्त ही कार्यग्रहण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
9. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया हुआ होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जा रही है। नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से शपथ पत्र प्राप्त किया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar Sharma

Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.23 14:03:41 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3889527



10. संस्थाप्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व जिनका चयन अन्य पिछड़ा वर्ग के चयन वर्ग से चयनित आशार्थियों से सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए । महिला आवेदन के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं, परन्तु आशार्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा । ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापस लौटा दें ।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से 50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर में यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा ।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प.7 (3) कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी बचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे ।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी), विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कटौतियां की जावेगी ।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतनवृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनी) की अवधि में इन्हें कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-12(9) एफ.डी.(रुल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा ।

संबंधित अभ्यर्थी को नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर **दिनांक 14-06-2023 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा**, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा । संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना इस कार्यालय को एवं अपने नियन्त्रण अधिकारी को तत्काल प्रेषित करेंगे ।

संलग्न :- आदेश सूची क्रम संख्या 01 से 09 तक ।

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

क्रमांक:- जिशिअभी/मुमाशि/संस्था-2/प्रयोगशाला सहायक - नियुक्ति/2023/ 213 दिनांक 23.05.2023

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा अजमेर संभाग, अजमेर ।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा ।
6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला भीलवाड़ा को देकर निवेदन है कि अपने ब्लॉक के अधिनस्थ विद्यालयों में लगे प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III के कार्यग्रहण की सूचना समेकित कर दिनांक 14.06.2023 तक इस कार्यालय में भिजवावें ।
7. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र सहित भेजकर लेख है कि मूल आवेदन इनकी व्यक्तिगत पंजिका में लगावें एवं कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय में भिजवावें । जिन अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं करने पर उनके मूल आवेदन पत्र पुनः इस कार्यालय को वाहक के द्वारा भिजवावें ।
8. संबंधित अभ्यर्थी श्री ।
9. नोटिस बोर्ड स्थानीय कार्यालय ।

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.23 14:03:41 IST
Reason: Approved






RajKaj Ref No. : 3889527



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा

क्रमांक :- जिशिअभी/मुमाशि/संस्था-2/प्रयोगशाला सहायक - नियुक्ति/2023/ 213

दिनांक 23.05.2023




Sr. No.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDE R	SEL CATE	Posting Place	Block	Photo
1	382575	83	SUMAN KANWAR MAHIYARIYA	BHEEM SINGH	10-Aug-99	OBC		Female	SEC_G EN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSEDA (214496)(08240314401)	SHAHPURA	
2	514783	163	PRIYANKA SAINI	GANESH RAM SAINI	09-May-96	OBC		Female	SEC_G EN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANSEDA (214496)(08240314401)	SHAHPURA	
3	448317	458	SONA KUMARI MEENA	SURESH CHANDRA MEENA	15-Jul-96	ST		Female	SEC_S T	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PANDER (222572)(08241001101)	JAHAJPUR	
4	442128	42	NARAYAN	SATYA NARAYAN	28-Mar-97	OBC		Male	SEC_G EN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HODA MANDALGARH (222681)(08241132502)	MANDALGARH	
5	453081	77	RADHEYSHYAM KUMAWAT	CHOTU LAL KUMAWAT	02-May-98	OBC		Male	SEC_G EN	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KISHANGARH (222528)(08240903701)	KOTRI	
6	512831	87	VIRENDRA KUMAR SAINI	RAMAVATAR SAINI	12-Nov-95	OBC		Male	SEC_O BC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HODA MANDALGARH (222681)(08241132502)	MANDALGARH	

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.23 14:03:39 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3889543



Sr. No.	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FNAME	DOB	CATE	H CATE	GENDE R	SEL CATE	Posting Place	Block	Photo
7	448135	140	VIKRAM SINGH RATHORE	DHAN SINGH RATHORE	21-09-2000	GEN-EWS		Male	SEC_G EN- EWS	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RAIPUR (214596)(08240600106)	RAIPUR	
8	136097	265	AVDHESH KUMAR	DHANESH SINGH	07-Aug-98	MBC		Male	SEC_ MBC	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BIJOLIYA (222663)(08241208702)	BIJOLIYA	
9	444830	550	RAJNISH AAKODIYA	KISHAN LAL BAIRWA	14-Oct-99	SC		Male	SEC_ S C	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KACHHOLA (222624)(08241101201)	MANDALGARH	

(डॉ. महावीर कुमार शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा

Signature valid

Digitally signed by Mahaveer Kumar
Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2023.05.23 14:03:39 IST
Reason: Approved

Page 2 of 2

RajKaj Ref No. : 3889543

